

69



दिल्ली विकास प्राधिकरण  
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा  
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म  
REGISTRATION FORM

OFFICE OF THE DIR (Plg.)  
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2  
Dy.No. 2620  
Date 7/5/12

“ओपन हाउस मीट्स”  
“OPEN HOUSE MEETS”

Zone - P-1

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए  
Form to be filled by Participant

नाम Name	Dmesh Kumar Rame
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Individual & Villagers
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9312071484 Vill P.O. Khara Kolan, Delhi-82
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	Vill P.O. Khara Kolan (Gash) Delhi-82
हस्ताक्षर : Signature :	<i>[Signature]</i>
तिथि : Date :	30.4.2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं  
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

इस जौन में तीन तरह की जमीन है।

- 1) पुराना लाल डोरा 2) Extended Lal dorav बड़ा हुआ लाल डोरा
- 3) कृषि भूमि (Agriculture Land)

1) पुराना: लाल डोरा :- 1908 से बंगलौर <sup>Lal Dorav</sup> पुरतैनी गाँव की आबादी इसमें सक्ती गली है कुछ बड़ी भी है इनका विकास भी आवश्यक है जैसे सीवर, सड़क, कम्युनिटी सेंटर है। चाँड़े रास्ते पर स्कूल, कालेज, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, पिन बनाने की अनुमति जहाँ न मीटर रोड व पार्किंग खुले के प्लान में है उसमें कमर्शियल जैसे कर्फि की अनुमति होनी चाहिए

2) Extended Lal dorav (बड़ा हुआ लाल डोरा) - 1950 से बड़ा लाल डोरा जो किसान को दोगुनी कृषि भूमि लेकर अलाट हुके है उनमें हमारी आवश्यकता अनुसार कमर्शियल व जनसुविधा के लिये अनुमति है इसमें 15 मीटर ऊपर तक बुद्रमजिल (फ्लैट) बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए

3) कृषि भूमि :- सस्ते रेट में अधिग्रहण करके पुरतैनी व्यवसाय कृषि दिम लिया आगे से हमारी भूमि अधिग्रहण न करके शकलित है 1/3 हिस्सा हमें दिया जाय जिसके बारे में सुप्रीम कोर्टो कह है कि किसान को उसकी जमीन की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए व बुद्रसिधित कृषि भूमि अधिग्रहण नही की जाय. सोनल प्लान क्लियर किया जाय की आवश्यकता, कमर्शियल व कल शिक्षा, मरपने को कहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ये कंदा लिखा है शक नागरिक का अधिकार दीना जाय। हमारे को लाल डोरा में जो आजदी से पहले को आबात लाल डोरा है उसके अन्दर कौनो प्रतिबंध लगा रहे है शहरी करण के बावजूद हमें सुविधा के त कृषि जाय प्रतिबंध लगा रहे है वहाँ पहले भी सभी तरह का कार्य होते थे अब क्या समस्या है हम लाल डोरा में वो जो कारे ~~हमारे~~ हमारा शेजगाट कृषि भूमि लेकर दिने लिये व लाल डोरा में हमें अपनी जमीन पर कोई बुधा न करे ये हमको नही है। भारत प्लान में कर्नल के म. हमें सुविधा शहरी जाय चाहिए।

दिनांक 30 अप्रैल 2019

नाम Divyashree Ram मंदीय  
 9312071484 समस्ता शानु वावनी  
 गाँव वडा. शकडालवा (दिल्ली) - 82